NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No. 272/NCRES/19 दिनांक 11.10.2019

श्रीमान महाप्रबन्धक (कार्मिक)
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, इलाहाबाद

विषय :– दिनांक 3, 4 व 5 अक्टूबर 2019 को झांसी में हुये NCRES के 8वें त्रिवार्षिक अधिवेशन में पेश प्रस्तावों पर उचित कार्यवाही करने हेतु।

महोदय,

अवगत कराना है कि NCRES का आठवां त्रिवार्षिक अधिवेशन दिनांक 3, 4 व 5 अक्टूबर 2019 को झांसी में आयोजित किया गया जिसमें दिनांक 04.10.2019 की जनरल काउन्सिल मीटिंग में निम्न 12 प्रस्ताव पेश किये गये जो सर्वसम्मत से पास हुआ है।

प्रस्ताव सं0 1 : दिनांक 01.01.2004 से भर्ती रेल कर्मियों के लिये न्यू पेंशन स्कीम हटाकर पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाय।

प्रस्ताव संख्या 2 : ट्रैकमेन्टेनरों को टेक्नीशियन स्ट्रक्चर के तहत ग्रेड पे 4200 दिया जाय।

प्रस्ताव संख्या 3 : उत्पादकता आधारित बोनस पर लगी सीलिग हटाया जाय।

प्रस्ताव संख्या 4 : रनिंग स्टाफ हेतु इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाई जाय।

प्रस्ताव संख्या 5 : रेलवे में सेफ्टी कैटेगिरी के समस्त कर्मचारियों को रिस्क एवं हार्डशिप अलाउनस दिया जाय।

प्रस्ताव संख्या 6 : रेलवे में 12 घंटे डियूटी का प्रावधान खत्म किया जाय।

प्रस्ताव संख्या 7 : रेलवे एक्ट अप्रेन्टिसों को वेकेन्सी के तहत रेलवे में समाहित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या 8 : रेल कर्मचारी के माता पिता को सुविधा/मानार्थ पास एवं मेडिकल सुविधा दिया जाय।

प्रस्ताव संख्या 9 : कक्षा 1 से पहले तीन कक्षाओं हेतु चिल्ड्रेन एजूकेशन अलाउंस दिया जाना ।

प्रस्ताव संख्या 10 : RELHS स्कीम में सुधार हेतु।

(i) रेल की उन्नति के लिये की गई कर्मचारियों की सेवाओं को ध्यान में रखते हुये उन लोगो को जो PPO में मेडिकल सुविधा के लिये आप्शन को बदलना चाहे उन्हे Declaration देने का एक मौका देते हुये उन्हे आउटडोर की मेडिकल सुविधा प्रदान की जाय।

(ii) इसी के साथ यह भी मांग है कि जिस प्रकार 2009 के पूर्व रिटायर हुये लोगो के लिये हमेशा के लिए RELHS स्कीम खोल दी गयी है उसी तर्ज पर यह स्कीम मार्च 2009 से 31.05.2012 के मध्य रिटायर हुये लोगो के लिये भी यह स्कीम हमेशा के लिये खोल दी जाय। जिससे इस स्कीम के चंद वंचित लोग भी जुड़ सके।

प्रस्ताव संख्या 11 : महिला रेल कर्मचारियों को कार्यस्थल पर निम्न सुविधा दिया जाय।

- कार्य स्थल पर बच्चों की देखभाल के लिये क्रशस (शिशु ग्रह) अनिवार्य रूप से बनाये जाय।
- ड्रेस बदलने हेतु चेन्जिंग रूम बनाये जाय।
- वूमन हास्टल बनाये जाये।
- महिला कर्मचारियों के लिये "Flexi Working Hours" लागू किये जाय।
- महिला कर्मचारियों हेतु आकर्षक वालेन्ट्री रिटायरमेन्ट स्कीम लाई जाए।
- महिला कर्मचारियों के लिये अलग ड्रेस कोड जारी किया जाय।

प्रस्ताव संख्या 12 : रेल कर्मचारी के एक बच्चे को नौकरी देने हेतु Modifid Safety related Retirement Scheme (MSRRS) को आरम्भ किया जाय।

अतः अनुरोध है कि दिनांक 04.10.2019 को जनरल काउन्सिल मीटिंग में सर्वसम्मत से पास उपरोक्त प्रस्तावों पर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री